

क्रमांक:प.19(01)शिक्षा-2/2013

दिनांक: 17.02.16

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर।

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर।



विषय:-अन्य विभागों में व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को मूल विभाग में भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के अज्ञापक दिनांक 13.02.15, 13.02.15 एवं पत्र क्रमांक: प.13(26)शिक्षा-2/14/सवे-4/2015 दिनांक 14.01.2015 की ओर आकर्षित निर्देशानुसार लेख है कि जिला कलेक्टर/जिला परिषद जिनके द्वारा शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों यथा जिला कलेक्टरों द्वारा मतदान एवं अन्य कार्यों के लिए शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं परन्तु जिस कार्य के लिए उन्हें लगाया जाता है वह कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उन्हें उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, तथा निःसुलक एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 27 के द्वारा भी निर्वाचन कार्यों में अध्यापकों की सेवाएं नहीं लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं। ऐसे शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण किये जाने के बाद ही उनका वेतन आहरित किये जाने के निर्देश प्रदान कर पालना रिपोर्ट चाही गई थी। जो आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः कलेक्टर/उप खण्ड/तहसील कार्यालयों में मतदान एवं अन्य कार्यों के लिए शिक्षकों को कार्य व्यवस्थार्थ नहीं लगाया जावे। यदि चर्चमात्र में कलेक्टर/उप खण्ड/तहसील कार्यालयों में शिक्षक कार्यव्यवस्थापक पदस्थापित विधि हुए हैं तो उन्हें तत्काल अपने मूल पदस्थापित स्थान पर कार्य किये जाने हेतु कार्यमुक्त करावें। यदि उक्त निर्देशों के बावजूद भी किसी विभाग द्वारा शिक्षक को उसके मूल पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा तो उस शिक्षक का ग्राह करवारी, 2018 से वेतन आहरित नहीं किया जावेगा।

कृपया इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

(कमलेश अग्रवाल)  
शासन उप सचिव  
माध्यमिक शिक्षा

**कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-विपिरी/प्रा/शिक्षक-संस्था/एफ.2/पनि-निदेश/2015  
प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक : 22.02.16

- शासन उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्रांक-प.19(01)शिक्षा-2/2013 दि. 17.02.16 के संबंध में।
- शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
- संस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही कर पालना से अवगत कराने हेतु।
- संस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही कर पालना से अवगत कराने हेतु।
- निजी अनुभाग, निदेशक को पत्रांक: निजी/प्राधि/रास/848 दिनांक 19.02.16

**कार्यालय उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर मण्डल**

क्रमांक:उनिशि/प्रा/अज/संस्था-2/16/78

दिनांक: 25.02.2016 अत्यावश्यक

मूल ही जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्षा, अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोक को पृष्ठांकित कर भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पालना से निदेशालय एवं इस कार्यालय को अवगत करावें।

उप निदेशक, प्रा0शिक्षा  
अजमेर मण्डल, अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शिक्षा) अजमेर  
क्रमांक: प्रा0शिक्षा (प्रा.शिक्षा) अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोक/25.2.16  
मूल ही संस्त (प्रा.शिक्षा) अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोक/25.2.16  
3 अंत निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर 21 मार्च 2016 तक अवगत करावें।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर